इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6 क आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 प्रकरण संख्या : 15/2024
उनवान : थानाधिकारी पुलिस थाना तखतगढ़ बनाम मोहनलाल व अन्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

रसद विविध प्रकरण संख्या : 15/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/18

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
थानाधिकारी पुलिस थाना तखतगढ़ जिला पाली राज.	बनाम	1. मोहनलाल पुत्र बाबुलाल जाति भील निवासी बागसीन थाना पालड़ी एम, जिला सिरोही 2. देशनाथ पुत्र बाबुनाथ जाति कालबेलिया जोगी थाना पालड़ी एम, जिला सिरोही 3. श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह जाति देवड़ा राजपुत निवासी छीबागांव थाना पालड़ी एम, जिला सिरोही राज.

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6 क आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :– अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सी.एल. प्रजापत उपस्थित

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांक: 22.07.2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जरिये प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 क आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्त शुदा अवैध डीजल कुल 9 ड्रम (8 प्लास्टिक व 1 लौहा) कुला मात्रा 2010 लीटर व जब्त शुदा पीकप बोलेरो रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.–24जीए–3640 का नियमानुसार निस्तारण करने बाबत् पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया।

थानाधिकारी पुलिस थाना तखतगढ़ की लिखित तहरीर क्रमांक/1815 दिनांक 19.07.2021 से प्राप्त सूचना अनुसार मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 03.07.2021 वक्त 10.30 ए.एम. पर जरिये मोबाईल श्री जसाराम हैड़ कानि. न. 993 पुलिस थाना तखतगढ़ ने रजत विश्नाई वृताधिकारी वृत सुमेरपुर को सूचना दी कि गिरवर रोड़ चाणौद में एक लोंडिग जीप बोलेरो मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे.–24–जीए–3640 में अवैध डीजल के ड्रम भर कर बेचने के लिये घुमते हुए तीन व्यक्तियों को रुकवाया है, जिनको लेकर मै थाना तखतगढ़ जा रहा हूं, कार्यवाही हेतु आप थाना तखतगढ़ पधारे। इस पर मेरे द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु डी.एस.ओ. पाली श्री लक्ष्मीनारायण बुनकर से वार्ता की गई तो स्वयं अवकाश में जयपुर होना बताया व अग्रिम कार्यवाही हेतु डी.एस.ओ. कार्यालय में कार्यरत प्रवर्तन निरीक्षक श्री हरिहरसिंह हाल मुख्यालय उपखण्ड कार्यालय सुमेरपुर को मन् वृताधिकारी के पास भिजवाना बताया। श्री हरिहरसिंह प्रवर्तन निरीक्षक डी.एस.ओ. कार्यालय पाली हाल मुख्यालय उपखण्ड कार्यालय सुमेरपुर वक्त 1.30 पी.एम. पर वृत कार्यालय सुमेरपुर में आये जिन्हे हमराह लेकर मन वृताधिकारी रजत विश्नाई मय जाब्ता, अनुसंधान बॉक्स, लैपटोप, प्रिन्टर, के रवाना होकर वक्त 2.30 पी.एम. पुलिस थाना तखतगढ़ पहूंचा, जहां पर श्री निर्मल कुमार उ.नि. व जसाराम हैड कानि. न. 993 उपस्थित मिले। थाना परिसर में खडी लोडिंग जीप बोलेरो मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे.–24–जीए–3640 जिसमें ड्रम भरे पाये गये। उक्त लोडिंग जीप बोलेरो मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे. 24–जीए–3640 के पास तीन व्यक्ति खडे मिले, जिनका नाम पता पूछा तो तीनो ने अपना नाम पता श्री मोहनलाल पुत्र बाबुलाल भील उम्र 54 साल पैशा ड्राईविंग निवासी बागसीन थाना पालडी एम, जिला सिरोही व श्री देशनाथ पुत्र बाबुनाथ जाति कालबेलिया जोगी उम्र 22 साल पैशा मजदुरी निवासी छीबागांव थाना पालड़ी एम जिला सिरोही व श्री श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह जाति देवड़ा राजपुत उम्र 27 साल पैशा खेती निवासी छीबागांव थाना पालड़ी एम, जिला सिरोही

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

CamScanner

होना बताया व उक्त लोडिंग जीप बोलेरो मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे.-24-जीए-3640 व उसमें भरे ड्रम स्वयं के होना बतायें। ड्रमों के बारे में पुछताछ करने पर तीनो ने सभी ड्रमों में अवैध डीजल भरा हुआ होना बताया। श्री जसाराम हैड़ कानि. न. 993 द्वारा भी उक्त तीनों व्यक्तियों को लोडिंग जीप बोलेरो मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे.-24-जीए-3640 व उसमें भरे ड्रम सहित डीजल बेचने के लिये घुमते हुए गिरवर रोड़ चाणौद से दस्तयाब कर थाना तखतगढ़ लाना बताया। लोडिंग जीप बोलेरो मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे.-24-जीए-3640 में भरे ड्रमों को नीचे उतारा गया तो कुल 09 ड्रम पाये गये जिनमें 08 ड्रम प्लास्टिक व 01 ड्रम लौहे का पाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त लोड़िग जीप में दो प्लास्टिक के कटे हुए जरीकन किमे के रुप मे उपयोग होने जैसे, एक प्लास्टिक का कैन, एक काला तिरपाल व एक प्लास्टिक का रस्सा, व एक ड्रमों के ढक्कन खोलने का औजार, मिला। उक्त 09 ड्रमों को श्री हरिहरसिंह प्रवर्तन निरीक्षक की उपस्थिति में खोल कर चैक किये तो ड्रमों में भरा तरल पदार्थ डीजल होना पाया गया। उक्त सभी 09 ड्रमों में भरे डीजल का माप श्री मदनलाल पुत्र आदाराम जाति मेघवाल निवासी कोशेलाव हाल लक्ष्मण फिलींग स्टेशन तखतगढ़ से करवाया गया तो निम्नानुसार डीजल की मात्रा पाई गई :-

1. प्लास्टिक का ड्रम बांरग आसमानी में कुल 230 लीटर डीजल
2. प्लास्टिक का ड्रम बांरग हरा में कुल 230 लीटर डीजल
3. प्लास्टिक का ड्रम बांरग आसमानी में कुल 230 लीटर डीजल
4. प्लास्टिक का ड्रम बांरग आसमानी में कुल 210 लीटर डीजल
5. प्लास्टिक का ड्रम बांरग आसमानी में कुल 230 लीटर डीजल
6. प्लास्टिक का ड्रम बांरग आसमानी में कुल 240 लीटर डीजल
7. प्लास्टिक का ड्रम बांरग पीला में कुल 220 लीटर डीजल
8. प्लास्टिक का ड्रम बांरग आसमानी में कुल 210 लीटर डीजल
9. लौहे का ड्रम बरंग आसमानी में कुल 210 लीटर डीजल

इस प्रकार नौ ड्रमों में कुल 2010 लीटर अवैध डीजल भरा हुआ पाया गया। उपस्थित श्री हरिहरसिंह प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय पाली ने उक्त 09 ड्रमों में भर हुये पदार्थ को देख कर व अनुभव के आधार पर प्रथम दृष्टया डीजल होना बताया। श्री मोहनलाल पुत्र बाबुलाल जाति भील उम्र 54 साल पेशा ड्रांइविंग निवासी बागसीन थाना पालडी एम, जिला सिरोही व श्री देशनाथ पुत्र बाबुनाथ जाति कालबेलिया जोगी उम्र 22 साल पैशा मजदुरी निवासी छीबागांव थाना पालड़ी एम जिला सिरोही व श्री श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह जाति देवड़ा राजपुत उम्र 27 साल पैशा खेती निवासी छीबागांव थाना पालड़ी एम, जिला सिरोही को भारी मात्रा में डीजल अपने पास रखने, परिवहन करने व बेचने बाबत लाईसेन्स, अनुज्ञापत्र व बिल का पुछा तो उक्त तीनों ने इस बाबत् कोई लाईसेन्स, अनुज्ञापत्र व बिल नहीं होना बताया। श्री श्रवणसिंह , देशनाथ व मोहनलाल का उक्त कृत्य जुर्म आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 की परिधि में आना पाये जाने पर उपस्थितगण श्री हरिहरसिंह व श्री जसाराम हैड़ कानि. न. 993 को मौताबिर मामूर कर श्री श्रवणसिंह, देशनाथ व मोहनलाल के कब्जे से पाये कुल 09 ड्रमों से प्रत्येंक ड्रम में से कांच की बोतल में 750 एमएल, डीजल नमूना सैम्पल व 750 एमएल डीजल कन्ट्रोल सैम्पल निकाला जाकर नमूना सैम्पल पर मार्क क्रमशः S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9 व कन्ट्रोल सैम्पल पर मार्क कमशः C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 अंकित कर शील्ड चस्पा किया। शेष बचा डीजल उन्हीं ड्रमों में रखा जाकर ड्रमों को शील्ड कर ड्रमों पर मार्क क्रमशः A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, AAA-8, A-9 अंकित किया व उक्त डीजल के ड्रमों व नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल को जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया गया। लोडिंग जीप बोलेरो मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे.-24-जीए-3640 में मिले प्लास्टिक के दो कटे हुए जरिकन, एक प्लास्टिक का केन, एक काला तिरपाल व एक प्लास्टिक का रस्सा, व ड्रमों को खोलने का एक लौहे का औजार वास्ते सबुत जरिये फर्द जब्ती के जब्त कर एक बोरी में डाल कर शील्ड चेपा कर मार्क बी अंकित किया गया। अवैध डीजल के परिवहन में प्रयुक्त लोंडिग जीप बोलेरा मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे.-24-जीए-3640 को वास्ते वजह सबुत जरिये फर्द जब्ती के जब्त की गई। हर तीनों मुलजिमान श्रवणसिंह, देशनाथ व मोहनलाल के विरुद्ध जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का अपराध प्रमाणित होने से धारा 41 जाफौ का नोटीस देकर चैकलीस्ट मुर्तीब कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किये गये। मुलजिमान श्रवणसिंह, देशनाथ व मोहनलाल से पूछताछ की गई तो श्री श्रवणसिंह

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

CamScanner

ने उक्त डीजल उसके द्वारा पालडी एम टोल नाके से आगे स्थित माँ काली होटल पालडी एम जिला सिरोही पर श्री श्री किशोर माली निवासी पालड़ी एम मो.न. 9352103254 से 80 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदना बताया व आगे 87 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचना बताया। श्री मोहनलाल ने उक्त लोडिंग जी नम्बर आर.जे. 24 जीए 3640 का चालक होना व उक्त अवैध डीजल बेचने के काम में श्री श्रवणसिंह का साथ देना बताया। व देशनाथ ने श्रवणसिंह के साथ मिल कर अवैध डीजल बेचना बताया। श्रवणसिंह ने उक्त डीजल नरेश माली निवासी ढोला मो. न. 6367895977 के कहने पर श्री नरेश खारोल डेयरी वाला निवासी चाणौद को एक डीजल का ड्रम आज बेचने आना बताया। व बाकी का डीजल आसपास के गांवो में घुम–घुम कर बेचने के प्रयोजन से लाना बताया। जब्तशुदा डीजल के ड्रम मार्क A-1 से A-9, नमूना सैम्पल मार्क S-1 से S-9, कन्ट्रोल सैम्पल मार्क C-1 से C-9 शील्डबन्द पैकेट मार्क बी. जब्तशुदा लोडिंग जीप बोलेरा मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे.–24–जीए–3640 व गिरफ्तारशुदा मुलजिमान श्रवणसिंह, देशनाथ व मोहनलाल मय मुर्तिबा फर्दात के रिपोर्ट पेश करने पर मु.न. 134 दिनांक 03.07.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना तखतगढ़ जिला पाली में दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया गया।

दौराने अनुसंधान गवाह मौतबिर गवाहान श्री जस्साराम व हरिहरसिंह से तफ्तीश कर बयान लिये गयें मुल्जिम मोहनलाल, श्रवणसिंह व देशनाथ की 27 साक्ष्य अधिनियम की ईतिला अनुसार जहां से अवैध डीजल मुल्जिमानों ने खरीद किया है वहां का व जहां अवैध डीजल बेचा है वहां का मौका तस्दीक करवाया जाकर फर्द मौका तस्दीक मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किये गये। गवाह श्री जस्साराम की उपस्थिति में घटनास्थल जहां से मुल्जमान को अवैध डीजल सहित दस्तयाब किया उस स्थान का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका हालात मौका मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किये गये। जब्त शुदा बोलेरो मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे. –24–जीए–3640 के दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये। मुकदमा हाजा में बरामद अवैध डीजल के ड्रम शील्ड बंद पैकेट A-1 से A-9 कुल 09 ड्रमों में भरा अवैध डीजल पेट्रोलियम पदार्थ जो अत्यन्त ज्वलनशील है और शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है जिसको लम्बे समय तक थाना हाजा पर नहीं रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त बरामद अवैध डीजल व जब्त शुदा बोलेरो मैक्सि ट्रक प्लस नम्बर आर.जे.–24–जीए–3640 का निस्तारण करना आवश्यक है अतः ईस्तगासा पेश कर बरामद अवैध डीजल व जब्तशुदा पीकप बोलेरो रजिस्ट्रेशन नम्बर आर. जे.–24–जीए–3640 का नियमानुसार निस्तारण फरमावें।

अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव ने अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7 (15) राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के पत्रांक/ कोर्ट /एडीएम/ 2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण जरिये स्थानांतरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया गया।

अधिवक्ता श्री सी.एल. प्रजापत ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया व अप्रार्थी संख्या 1 की और से लिखित जवाब पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल पुत्र बाबुलाल एक अनपढ व्यक्ति है जो मजदुरी कर अपने व अपने परिवार का जीवन–यापन करता है व ड्राईवर है जो वक्त जरुरत किसी को आवश्यकता होने पर ड्राईविंग के लिये जाता रहता है, दिनांक 03.07.2021 को रघुवीरसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपुत निवासी राजपुतो का बास अरटवाड़ा तहसील शिवगंज जिला सिरोही का वाहन पीकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर–जे–24–जीए–3640 को लेकर गया जिसमें क्या माल भरा हुआ था जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 01 को नहीं थी, व अप्रार्थी संख्या 01 को बताया गया कि डीजल अपने पम्प से लिया है जो कि अपनी क्रेशर मशीन चाणौद जहां पर डीजल की अधिक आवश्यकता रहती हैं जहां पर उक्त डीजल गाडी सहित ले जाकर वहां रख देना। जिसमें प्रार्थी स्वयं व साथ में देशनाथ पुत्र बाबुनाथ जाति कालबेलिया निवासी छीबागांव थाना पालडी एल जिला सिरोही व श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपुत निवासी छीबागांव थाना पालड़ी एम जिला सिरोही तीनो व्यक्ति वाहन बोलेरो पिकअप से ले जा रहे थे तब वक्त चैकिंग वाहन बोलेरो पिकअप में भरा डीजल पुलिस कर्मचारियों द्वारा पुछा गया तो वाहन चालक मोहनलाल ने बताया कि उक्त डीजल रघुवीरसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपुत की क्रेशर चाणौद ले जा रहा हूं। जहां पर पुलिस अधिकारियों ने चालक से पुछा कि उक्त भरा माल डीजल कहां ले जा रहे हो

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

CamScanner

तो वाहन चालक मोहनलाल ने बताया कि उक्त डीजल जब्बरसिंह के कहें अनुसार चाणौद स्थित क्रेशर पर ले जा रहा हूं। बाकि मुझे कोई जानकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपर्युक्त कार्यवाही को ड्रोप फरमाने का आदेश प्रदान करावें। व अप्रार्थी संख्या 03 श्रवणसिंह का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 देशनाथ की ओर से भी लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 देशनाथ एक कम पढ़ा लिखा नवयुवक 25 वर्षीय लड़का है जो मजदुरी कर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करता हैं व छोटी–मोटी मजदुरी अपने गांव के आस–पास की जगहों कार्य करता हैं व दिनांक 03.07.2021 को रघुवीरसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपुत निवासी सिरोही का एक वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर–जे–24–जीए–3640 में भरा माल को उतारने के लिये मुझ प्रार्थी व दो अन्य मोहनलाल (ड्राईवर) श्रवणसिंह व प्रार्थी स्वयं तीनों वाहन में भरा माल उतारने हेतु वाहन को लेकर चाणौद की तरफ जा रहे थे तभी वक्त चैकिंग पुलिस थाना तखतगढ़ के वृताधिकारी पुलिस उप अधीक्षक सुमेरपुर मय जाब्ता से वाहन को जब्त कर वाहन में भरा माल भी पुलिस ने जब्त कर लिया व पुछा कि उक्त वाहन में भरा माल डीजल कहां ले जा रहे हो तो बताया कि उपरोक्त माल क्रेशर मशीन में डालने के लिये ले जा रहे है व पुलिस द्वारा पुछे जाने पर बताया हमने की उक्त माल डीजल कहां से भरा तो हमने बताया कि हमे इस चीज की कोई जानकारी नहीं है व कहां से भरा है, व कहां से लाया है इसकी हमे कोई जानकारी नहीं हैं। हमें तो सिर्फ डीजल उतारने हेतु श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह निवासी छीबागांव पी.एस. पालडी एम के कहे अनुसार उनके साथ आये हैं व उक्त माल रघुवीरसिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति राजपुत की क्रेशर चाणौद ले जा रहे है व अन्य हमे कोई जानकारी नहीं है मुझे सिर्फ डीजल उतारने के लिये लाया है, अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी मुल्जिम का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने सुनी गई बहस एव अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना तखतगढ़ की लिखित तहरीर क्रमांक/1815 दिनांक 19.07.2021 से प्राप्त सूचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 03 श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह जाति देवड़ा राजपुत निवासी छीबागांव थाना पालड़ी एम जिला सिरोही ने जब्त शुदा अवैध डीजल कुल 9 ड्रम (8 प्लास्टिक व 1 लौहा) कुला मात्रा 2010 लीटर भारी मात्रा में डीजल अपने पास रखने, परिवहन करने व बेचने इस बाबत लाईसेन्स, अनुज्ञापत्र व बिल नहीं होना बताया। व उक्त कृत्य जुर्म आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 की के तहत दण्डनीय अपराध है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 03 के मृत्यू प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रवणसिंह पुत्र गंगासिंह की मृत्यू दिनांक 16.07.2022 को हो चुकी है। अतः अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 के विरुद्ध प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। व जब्त शुदा अवैध डीजल कुल 9 ड्रम (8 प्लास्टिक व 1 लौहा) कुला मात्रा 2010 लीटर अवैध डीजल को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। जब्त शुदा अवैध डीजल कुल 9 ड्रम (8 प्लास्टिक व 1 लौहा) कुल मात्रा 2010 लीटर अवैध डीजल मय सामान के निस्तारण हेतु जिला रसद अधिकारी पाली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जब्त शुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रेषित करावें। आदेश की पालना हेतु जिला रसद अधिकारी पाली को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

22/7/24

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

CamScanner